



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122022-241480
CG-DL-E-29122022-241480

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5833]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2022/पौष 7, 1944

No. 5833]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2022/PAUSHA 7, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6076(अ).—जबकि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ.4300(ई) दिनांक 14 सितंबर, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण संख्या 4119, भाग II, खंड 3, उप-धारा (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3ए की उप-धारा (1) के तहत जारी (बाद में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार ने निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा की किमी 0/000 से किमी 80/000 (नागपट्टिनम-तंजावुर) तक भूमि के विस्तार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के निर्माण (चौड़ाई/दो लेन, आदि), रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची धारा) तमिलनाडु राज्य में तिरुवरुर जिले में

और जबकि उक्त अधिसूचना का सार दो स्थानीय समाचार पत्रों "थिनाथंथी" (तमिल) और "द हिंदू" (अंग्रेजी) में प्रकाशित किया गया है, दोनों दिनांक 28 सितंबर, 2022 की धारा 3ए की उप-धारा (3) के तहत उक्त अधिनियम;

और जबकि स्थानीय दैनिक "थिनाथंथी" और "द हिंदू" दोनों में दिनांक 28 सितंबर, 2022 को किए गए प्रकाशन के जवाब में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के तिरुवरुर जिले में NH67 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 80.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु		जिले का नाम: तिरुवरुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: निदामंगलम				
	गांव का नाम: पाथर				
1	45/2D	निजी(गीला)	गीला	0.0055	मुथैयन पुत्र. थंगारासु ()
2	45/2E	निजी(गीला)	गीला	0.0235	मुथैयन पुत्र/ओ. थंगारासु (45/2ई)
3	46/1	निजी(गीला)	गीला	0.0271	इंद्राणी पत्नी। कालियामूर्ति ()
4	46/2A	निजी(गीला)	गीला	0.0088	जानकीरामन एँस्/ओ. वेंकटाचल कोनर ()
5	49/1A1	निजी(गीला)	गीला	0.006	तमिलसेलवी डबल्यू/ओ. रामासामी ()
6	50/2A2	निजी(गीला)	गीला	0.35	1. वेध धर्म शास्त्र पदसलाई, मन्नारगुडी. 2. विजयलक्ष्मी डबल्यू/ओ. कलियामूर्ति ()
7	50/4	सरकारी(पोराम्बोक)	वैक्कली	0.067	गवर्नमेंट ओफ तमिलनाडु ()
8	50/7	निजी(गीला)	गीला	0.097	जानकीरामन एँस्/ओ. वेंकटाचल कोनर ()
			कुल	0.5849	

[फा. सं. NHAI/PIU/Thanj/11014/13/2009/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

Delhi, the 27th December, 2022

S.O. 6076(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.4300(E) dated the 14th September, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary No. 4119, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire

the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.67 in the stretch of land from Km. 0/000 to Km. 80/000 (Nagapattinam-Thanjavur Section) in the district of TIRUVARUR in the state of TAMIL NADU.

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Hindu" and "Thinathanthi" both dated the 28th September, 2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received in response to the publication made in the local dailies "Thinathanthi" and in "The Hindu" both dated 28th September, 2022.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within Stretch of land from Km. 00/000 to Km. 80/000 of Nagapattinam -Thanjavur Section of National Highway No.67 in Tiruvarur District in the State of TAMIL NADU.

State: TAMIL NADU		District: TIRUVARUR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Nidamangalam				
	Village: Pathur				
1	45/2D	Private(Wet)	Wet	0.0055	Muthaiyan S/o. Thangarasu
2	45/2E	Private(Wet)	Wet	0.0235	Muthaiyan S/o. Thangarasu 45/2E
3	46/1	Private(Wet)	Wet	0.0271	Indhirani W/o. Kaliyamoorthy
4	46/2A	Private(Wet)	Wet	0.0088	Janakiraman S/o. Venkatachala Konar
5	49/1A1	Private(Wet)	Wet	0.006	Tamilselvi W/o. Ramasamy
6	50/2A2	Private(Wet)	Wet	0.35	1. Vedha Dharma Shastra Padasalai, Mannargudi. 2. Vijayalakshmi W/o. Kaliyamoorthy
7	50/4	Government(Poramboke)	Vaikkal	0.067	Government of Tamilnadu
8	50/7	Private(Wet)	Wet	0.097	Janakiraman S/o. Venkatachala Konaar
			TOTAL	0.5849	

[F. No. NHAI/PIU/Thanj/11014/13/2009/3D]

RAJESH GUPTA, Director